भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 131

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/ 28 आषाढ़, 1943 (शक)

क्षेत्र विकास कार्यक्रम

131. श्री रमेश चन्द्र माझी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार की वास्तविक चिंताओं को समझते हुए क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रावधानों को पुन: बहाल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों जैसे केबीके हेतु विशेष योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) और प्रभावी जिलों के लिए एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी) के लिए केंद्रीय निधि न देने से ओडिशा के सर्वाधिक वंचित और पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नीति आयोग के पास उपलब्ध बजट प्रावधान के माध्यम से इन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए राज्य को विशेष पैकेज प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' योजना वर्ष 2015-16 से केन्द्र की सहायता से अलग कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु केन्द्र सरकार की 12वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं को ओडिशा राज्य को 2015-16 में 132.07 करोड़ रुपए और 2016-17 में 367.93 करोड़ रुपए की 'विशेष सहायता' जारी करके पूरा कर दिया गया है।

(घ) और (ड.): केन्द्रीय बजट: 2021-21 के दस्तावेजों के अनुसार, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग के पास अलग से कोई बजट नहीं है।

****